7.3.4 एमजीएनआरईजीए के तहत खर-पतवार निष्कासन और सिंचाई के लिए विचार किया जा सकता है। यह सिर्फ वानिकी पौधारोपण और बागवानी के लिए 2-3 साल की अवधि के लिए सीमित है। यह माना गया है कि इस अवधि के अंत में, बागवानी किये गये पौधों में फल आ जाएंगे और उसके बाद निराई, सिंचाई आदि सामान्य कार्य का एक हिस्सा बन जाएंगे। इसी तरह 2-3 साल के अंत में, यह माना गया है कि कृषि वानिकी वृक्षारोपण पर्याप्त ऊंचाई पा लेगा और खाई के साथ टीलों के मेड़ों की परिधि या अन्य प्रकार की संरचनाओं के द्वारा चराई से सुरक्षा के साथ जीवित रह पायेगा।

राज्य कृषि / बागवानी / वन विभाग बागवानी और वानिकी के लिए खर- पतवार को हटाने और सिंचाई आदि के लिए समय की अवधि और श्रमदिवस के संदर्भ में मानदंडों को लागू करेगा और इसे एमजीएनआरईजीए कार्य की लागत के रूप में शामिल किया जा सकेगा। हालांकि, इन मानदंडों को उनके अपने स्वयं के विभागीय कार्यक्रम के तहत या तो राज्य निधि से या एक सीएसएस के भाग के तहत होने वाले कार्य के लिए लागू किया जाना चाहिए।

7.3.5 नहीं किये जाने वाले कार्यों की सूची में कार्यों पर व्यय स्वीकार्य नहीं हो सकता है और कार्य के अनुमोदन और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूल किया जाएगा।

7.3.6 एमजीएनआरईजीए निधि का इस्तेमाल सिर्फ मंत्रालय के अनुमोदन पर ही किया जाना चाहिए और इसके लिए कुछ पंचायतों तक ही सीमिति रखा जाना चाहिए। संचालन के बारे में कोई भी निर्णय सिर्फ मंत्रालय के अनुमोदन पर ही लिया जाना चाहिए।

7.3.7 सामान्यतः परिसम्पत्तियों का रखरखाव केवल उन कार्यों तथा परिसम्पत्तियों के लिए ही किया जाना चाहिए जिनका सृजन महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हुआ है। मनरेगा निधियों का प्रयोग मनरेगा से इतर योजनाओं से सृजित परिसम्पत्तियों के पुनः स्थापन हेतु किया जाना है तो तारीख सहित विगत में किए गए कार्य का पूर्ण ब्यौरा, अनुमान एवं मापन बही की प्रति, प्रशासनिक अनुमोदन देने से पूर्व, मनरेगा कार्य रिकार्ड के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एजेंसी का यह भी कर्तव्य होगा कि उसने ग्राम पंचायत (जीपी) को अपेक्षित सभी विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु इन परिसम्पत्तियों को निष्पादित किया है। पीओ यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्यों की सूची में ऐसे प्रत्येक कार्य के सामने संबंधित प्रविष्टि कर दी गई है। वह यह सुनिश्चय करेगा/करेगी कि प्रशासनिक अनुमोदन के पूर्व दस्तावेजों की प्रतियां डीपीसी को भी उपलब्ध करवा दी गई हैं तथा कार्य आदेश के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसी को ब्यौरे उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

7.3.8 महात्मा गांधी नरेगा निधियों का उपयोग भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुसूची-I के पैराग्राफ 1ग के अंतर्गत उल्लिखित सभी श्रेणियों से संबंधित भूमि का मनरेगा के अंतर्गत कार्यों के लिए अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। यदि भूमि मनरेगा कार्यों के लिए दान में दी जा रही है तो डीपीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि दान पूर्णतः स्वैच्छिक है और यह किसी दबाव के बगैर किया जा रहा है।

7.3.9 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत व्यापक रूप से शुरू की गई एक प्रमुख गतिविधि कुओं का निर्माण करना है। तथापि, यह देखा गया है कि अनेक अवसरों पर यह कार्य उपलब्ध हाइड्रो-जियोलाजीकल स्थितियों तथा पहले से पश्चप्रवण घटना पर संभावित प्रभाव, जल स्तर और जल गुणवत्ता के संदर्भ के बगैर अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया है। भू-जल सामान्य पूल संसाधन है। कुओं और नलकूपों जैसे वैयक्तिक स्रोतों के माध्यम से भूमिगत जल के दिदोहन से कभी-कभी स्रोत की मात्रा (गहराई) और स्रोत की गुणवत्ता को हानि हो सकती है। **अतएव, निम्नलिखित शर्तों का महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कुएं खोदने के लिए निर्धारण किया जा रहा है:**

i) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत बोरवैल और ट्यूबवैलों पर किसी भी हालत में अनुमेय गतिविधि के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

ii) उन क्षेत्रों में निजी कुंए खोदना मनरेगा के अंतर्गत एक अनुमेय गतिविधि नहीं होगी जिनको केन्द्रीय सरकार जल बोर्ड (सीजीडबल्यूसी) के अद्यतन आकलन के अनुसार सेमी-क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल या अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii) उन क्षेत्रों जिनको केन्द्रीय सरकार जल बोर्ड (सीजीडबल्यूसी) के अद्यतन आकलन के अनुसार सेमी-क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल या अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, केवल समूह कुओं (ग्रुप वैल) की अनुमति प्रदान की जाएगी जहां कृषक समूह ऐसे "वैल" से पानी की सहभागिता करने हेतु सहमत हों। ऐसे प्रत्येक समूह में कम से कम 3 कृषक शामिल होने चाहिए।

iv) एक समूह कुंए से पानी लेने के लिए कृषकों के बीच औपचारिक करार (स्टाम्प पेपर पर) होना चाहिए। इस समूह द्वारा किए गए करार की जांच-पड़ताल ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी।

- एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस समूह का सदस्य हो सकता है। वह एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं हो सकता है/हो सकती है।
- एक समूह कुएं का पंजीकरण राजस्व रिकार्डों में ग्रुप सिंचाई कुएं के रूप में किया जाना चाहिए।
- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा 'सुरक्षित' के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में, वैयक्तिक कुंओं पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे कुंओं की गहराई और व्यास तथा एक कुएं से दूसरे कुएं की दूरी क्षेत्र विशेष की हाइड्रो-जिओलॉजी के अनुसार होनी चाहिए। अधिक पथरीले क्षेत्रों में कुएं का व्यास 8 मीटर के भीतर रखा जाना चाहिए। कम पथरीले और कंकर वाले क्षेत्रों के लिए, कुएं का व्यास 6 मीटर से कम होना चाहिए।

7.3.10 मनरेगा के अंतर्गत शुरू की जा रही गतिविधि के बारे में किसी संदेह की स्थिति में, कि क्या यह कार्य अनुमेय है अथवा नहीं, राज्यों द्वारा मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

7.4 मजदूरी–सामग्री अनुपात और सामग्री का प्रापण

7.4.1 मजदूरी लागत और सामग्री लागत का अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 के अनुपात के न्यूनतम मानदण्ड से कम नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत के स्तर पर कराये जाने वाले सभी कार्यो के लिये ग्राम पंचायत के स्तर पर मजदूरी एवं कार्य सामग्रियों पर व्यय का अनुपात 60:40 बरकरार रखा जाना चाहिये। अन्य सभी एजेंसियों की ओर से कराये गये काम के लिये प्रखंड/मध्यस्तरीय पंचायत के स्तर पर यह अनुपात कायम रखा जाना चाहिये।

7.4.2 **औजार और उपकरण व्यय:** महात्मा गांधी नरेगा कामगारों के लिए सब्बल, टोकरा और पिकासा जैसे औजारों एवं उपकरणों की केन्द्रीकृत खरीद से बचा जाना चाहिए। कामगारों को यह सुविधा दी जाए कि वे अपने औजार और उपकरण साथ लाएं जिनके लिए उन्हें समुचित अनुरक्षण प्रभारों का भुगतान किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, यदि कामगार अपने स्वयं के औजारों का प्रबंध करने में असमर्थ हैं तो इनकी व्यवस्था पंचायतों/सहायता समूहों आदि द्वारा की जा सकती है। प्रापण की लागत (यदि कोई हो) तथा सब्बलों को धारदार बनाने जैसे अनुरक्षण व्यय को सामग्री व्यय के अंतर्गत अंकित (बुक) किया जाएगा।

7.4.3 कुशल एवं विवेकपूर्ण ढंग से सामग्री की खरीद सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए:

i) प्रापण करने वाले संगठनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रापण की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, किस्म आदि तथा मात्रा संबंधी विशिष्टियों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। इस प्रकार गणना की गई विशिष्टियों को कार्यान्वयन एजेंसियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना चाहिए तथा ऐसे अनुचित, फालतू और अवांछनीय तत्वों को कड़ाई से बाहर कर देना चाहिए जिनके कारण अनावश्यक वस्तु भंडारण की लागत बढ़ जाए।

ii) एक उपयुक्त, पारदर्शी तथा संगत प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए पेशकश आमंत्रित की जानी चाहिए।

iii) कार्यान्वयन एजेंसियों को इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिए कि चुनिंदा पेशकश सभी प्रकार से अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से पूरा करती है।

iv) कार्यान्वयन एजेंसी को स्वयं भी संतुष्ट होना चाहिए कि चुनिंदा पेशकश का मूल्य उचित है और अपेक्षित गुणवत्ता के अनुरूप है।

v) प्रापण के प्रत्येक स्तर पर, सम्बद्ध एजेंसी को, स्पष्ट शर्तों पर सभी बातों को रिकार्ड में रखना चाहिए जिनका प्रापण संबंधी निर्णयों पर प्रभाव पड़ा।

vi) राज्यों को "ई–प्रापण" प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी जाती है। ई–प्रापण माड्यूल नरेगा सॉफ्ट में उपलब्ध कराया जाएगा।

7.4.4 प्रापण संबंधी निर्णय ले लिए जाने के एक सप्ताह के भीतर प्रापण की जाने वाली सभी सामग्री का ब्यौरा पंचायतों के नोटिस बोर्डों (सूचना पट्टों) तथा और अन्य स्थानों पर मनरेगा कामगारों सहित [illegible] प्रदर्शित किया जाएगा। यह ब्यौरा पंचायतों के मुख्य स्थानों पर दीवार लेखन के जरिए भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रापण की गई सभी सामग्री का ब्यौरा (प्रापण की गई सामग्री की मात्रा, व्यय की गई कुल राशि, कार्य जिसके लिए सामग्री खरीदी गई सामग्री की सुपुर्दगी की तारीख आदि) एमआईएस पर भी डाला जाना चाहिए। पी.ओ. के माध्यम से डीपीसी यह सुनिश्चित करेगा कि इन प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। राज्य सरकार अपेक्षित [illegible] उपलब्ध कराएगी जिसमें इन ब्यौरों को नोटिस बोर्डों अथवा दीवार लेखन के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

परिशिष्ट-2

कार्यालय जिला पंचायत, मंदसौर, जिला मंदसौर म.प्र.

विधानसभा प्रश्न कमांक 4955 अतांराकित की जानकारी

विधानसभा प्रश्न कमांक 4955 के "ग" वर्ष 2011 से 2015 तक जल स्तर की जानकारी (रू.लाखमें)

कमांक	विकासखण्ड	जल स्तर वर्ष 2011		जल स्तर वर्ष 2012		जल स्तर वर्ष 2013		जल स्तर वर्ष 2014		जल स्तर वर्ष 2015		रिमार्क
		मई प्री–मानसून	नवम्बर पोस्ट मानसून	मई प्री–मानसून	नवम्बर पोस्ट मानसून	मई प्री–मानसून	नवम्बर पोस्ट मानसून	मई प्री–मानसून	नवम्बर पोस्ट मानसून	मई प्री–मानसून	नवम्बर पोस्ट मानसून	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सीतामऊ	12.67	4.25	10.57	3.44	11.01	2.89	10.36	3.43	10.69	5.41	सीतामऊ विकासखण्ड की सुवारारा एवं सीतामऊ तहसील सम्मिलित है
2	गरोठ	14.37	4.96	10.03	4.31	10.66	3.78	10.07	3.34	10.42	4.90	गरोठ विकासखण्ड की गरोठ एवं शामगढ तहसील सम्मिलित है

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत, मंदसौर